

कार्यालय
मान्यवर श्री कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल,

प्रशासनिक भवन, लखनऊ।

(स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों, आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति, लखनऊ)

पत्रांक सं० 166/प्र०/मा.का.सांस्कृ.स्थ./2024-25

दिनांक : 20/06/24

कोटेशन आमन्त्रण सूचना

स्मारक समिति के अर्न्तगत मान्यवर श्री कांशीराम जी सांस्कृतिक थल, लखनऊ के परिक्षेत्र में उपरोक्त 120 sq. mm. क्षमता की 3.5 core LT केबिल को ट्रेंच बनाकर HDPE पाइप के साथ केबिल को बिछाकर भूमिगत किये जाने सम्बन्धित कार्य कराये जाने हेतु मुख्य अभियंता, ल०वि०प्रा० एवं वित्त नियंत्रक, ल०वि०प्रा० महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमति दिनांक 25.09.2023 एवं 26.09.2023 के अनुपालन में निम्न विवरण के अनुसार ल०वि०प्रा० में पंजीकृत ठेकेदार/फर्मों से कोटेशन आमन्त्रित किये जाते हैं। कार्य सम्बन्धी विवरण निम्नवत् है:-

S.No.	Descriptions	Qty.	Unit	Rate
01	Supply and laying of 63mm dia (OD 63 mm & ID-51mm nominal) size DWC HDPE pipe ISI marked along with all accessories like socket, bend, couplers etc. conforming to IS 14930. Part II complete with fitting and cutting, joining etc., direct in ground (75 cm below ground level) including excavation and refilling the trench but excluding sand cushioning and protective covering etc. complete as required.	475	Mtr.	128.50
02	Laying of 120 sqmm. Al conductor PVC insulated Armored sheathed or L.T. cable 1100 volt grade make polycab in existing trench &labour rate only. As per directed by engineer-in-charge complete in all respect.	475	mtr.	27.00
03	Supply and fixing of Lugs size 120 sqmm.	16	Nos.	117.00

इच्छुक फर्में दिनांक 24.06.2024, सायं 04.00 बजे तक अपनी कोटेशन प्रबन्धक, मान्यवर श्री कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल, लखनऊ को प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित समय उपरान्त कोटेशन/प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होंगे। प्राप्त कोटेशन में से न्यूनतम दर वाली फर्म को कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया जायेगा।

(अभिनव सिंह)
प्रबन्धक

प्रतिलिपि:- पत्रांक व दिनांक उक्तवत्।

1. प्रबन्धक (वित्त/अनुरक्षण) को सूचनार्थ।
2. सर्वर एवं नेटवर्क इंजीनियर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कोटेशन आमन्त्रण सूचना को स्मारक समिति की वेबसाइट पर अपलोड सम्बन्धित कार्यवाही कर सकें।
3. नोटिस बोर्ड।


प्रबन्धक 20/06/24